मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 44-13/2017/20-2 भोपाल दिनांक 9/8/18

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
4. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूल
   मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

संदर्भ- 1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 09.11.16,
2. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 20.07.17,
3. म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 4.12.2017,
4. म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/2017/20-2 भोपाल दि 7.7.2018,

राज्य शासन के संदर्भित आदेश में अतिथि शिक्षकों को रखने हेतु दिशानिर्देश उल्लेखित किये गये है। सत्र 2018-19 के लिये विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिये हाई एव हायर सेकेण्डरी स्कूल के पंजीकृत एव सत्यापित आवेदको से रिक्त पदो पर च्वाईस फिलिंग का कार्य दिनांक 26.7.2018 तक उपलब्ध कराया गया था, जिसमें कुल 99143 आवेदको द्वारा लगभग 15 लाख च्वाईस दर्ज की गई, जिसके आधार पर दिनांक 27.7.2018 को प्रत्येक स्कूल एव पद हेतु मेरिट सूची जारी की गई, जिसमे आवेदक की रैंक को प्रदर्शित किया गया। निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. SSS3 (Lab) का पेनल

अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दिनांक 27.7.2018 को उपलब्ध SSS3(Lab) के पेनल मे डी.एड. योग्यताधारी आवेदकों के दो स्कोर (डी.एड. के अंक के बिना तथा अंक सहित) जनरेट हुये थे। तथा कतिपय आवेदकों के डी.एड. के अंक कुल स्कोर में सॉफ्टवेयर की त्रुटि के कारण जुड नहीं पाये थे। त्रुटि सामने आते ही अगले दिन सुधार किया गया था। दिनांक 28.7.2018 को किये गये सुधार के पश्चात कतिपय आवेदकों द्वारा डाऊनलोड किये गये पेनल में प्रदर्शित रैंक में अंतर दिखा। इस संबंध मे एन.आई.सी. द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी आवेदक को सिस्टम मे पृथक से सम्मिलित नही किया गया है तथा सिस्टम मे उपलब्ध किसी आवेदक के वास्तविक स्कोर मे कोई परिवर्तन नही किया गया। मेरिट सूची मे कुछ आवेदको की रैंक में अन्य आवेदकों की रैंक से सापेक्ष परिवर्तन डी.एड.के वेटेज दिये जाने से दृष्टिगोचर हुआ है। त्रुटि सामने आते ही अगले दिन किये गये सुधार संबंधी सूचना अतिथि शिक्षक पोर्टल के प्राचार्य एवं आवेदको के लॉगिन मे प्रदर्शित की जा चुकी है, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

2. समान रैंक वाले आवेदकों के दशमलव अंक स्कोर में अंतर

आवेदक की रैंक पूर्णांक में प्रदर्शित हो रही है। कुछ इस प्रकार के प्रकरण उद्भुत हुये है, कि समान स्कोर में नीचे की रैंक के आवेदक के अंक अपने से ऊपर के आवेदक से अधिक हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि स्कोर को पूर्णांक में स्टोर किया गया है। ऐसे प्रकरणों में प्राचार्य द्वारा आवेदकों की अंकसूची सत्यापित करते हुये SMDC की बैठक में ब्यौरा अंकित कर अधिक प्रतिशत (दशमलव सहित) वाले आवेदक को आमंत्रित किया जाये। यदि दो आवेदकों के स्कोर दशमलव के अंक तक समान है, उस स्थिति में अधिक उम्र के आवेदक को आमंत्रित किया जाये।

3. विद्यालय में उपस्थित होने आवेदकों की ऑनलाईन प्रविष्टि

अभी तक लगभग 22,000 आवेदकों के अतिथि शिक्षको की चयनित विद्यालयो मे उपस्थिती संबंधी जानकारी संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल मे प्रविष्ट की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में संख्या काफी कम प्रदर्शित हो रही है। समस्त संकुल प्राचार्य दिनांक 10.8.2018 तक पोर्टल मे प्रविष्ट सम्बन्धी कार्य पूर्ण करें।

सन्दर्भित शासनादेशों एवं उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9/8/18
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

पृ.क्र. एफ 44-13/2017/20-2

भोपाल दिनांक 9/8/18

1.निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव मशासन .प्र. जनजातीय विभाग/अनुसूचित जाति विभाग।
3.आयुक्त लोक शिक्षण म .प्र.भोपाल।
4.आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
3.संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म .प्र.भोपाल।
4.कलेक्टर समस्त जिले।
5.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6.राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।
7.समस्त संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास।
8.समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग/जिलापरियोजना समन्वयक।
9.समस्त बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र।
10.ऑर्डर बुक

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner